REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 9 | JUNE - 2018

महिला एवं बाल कल्याण योजनाएँ (जयपुर जिले का एक भौगोलिक अध्ययन)

डॉ.एस.एस. खींची[1] , पुष्पा कुमारी मौर्य[2]
[1]सह आचार्य , भूगोल विभाग , डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
[2]शोधार्थी , भूगोल विभाग , डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

परिचय

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करने में समाज के साथ साथ राज्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है एवं समय के साथ साथ राज्य की भूमिका सकारात्मक होती गई है। प्रारम्भिक स्थिति को छोडकर ऐसा नहीं माना जा सकता कि राज्य और उसकी संस्थाएं सामाजिक समस्याओं और निर्बलों के प्रति उदासीन रही है। प्राचीनकाल से ही राज्य चाहे उसका स्वरूप कुछ भी रहा हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग हमेशा रहा हैं। शासकों एवं प्रशासन की कुछ प्रतिबद्धताएं इतिहास के हर चरण में देखनें को मिलती है। वैश्विक स्तर पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था जैसे जैसे सुदृढ होती गई, महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष लाने की मुहिम में भी तेजी आती गई। विधि एवं न्याय के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु समान अवसर, विचार अभिव्यक्ति, निवास, रोजगार आदि की स्वतन्त्रता पारिवारिक सम्पति में हिस्सेदारी, निर्णयन के प्रत्येक स्तर पर समानता, खान पान, रहन–सहन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में समानता आदि मामलों में महिलाओं को न केवल पुरूषों के बराबर लाया गया, बल्कि जहाँ कहीं आवश्यकता थी, वहाँ उनकी निष्ठा व सम्मान की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए।[2]

भारत में महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के लिए काफी लम्बे समय से संघर्ष चल रहा है। सदियों से भारत में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अधिकार विहीनता, रूढिवादिता समाज का अंग रहा है। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा के परिणामस्वरूप महिला अधिकारों की मांग पर जोर पकडने लगी तथा महिलाओं की शिक्षा को बढावा दिया जाने लगा। भारत में 1915 से 1927 के बीच कई महिला संगठनों की स्थापना हुई तथा स्वतन्त्रता के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई संवैधानिक व कानूनी कदम उठायें गये।

भारतीय संसद द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए समय–समय पर विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। जैसे लगान श्रम अधिनियम 1951 के तहत महिला कर्मियों को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अवकाश दिया जाना चाहिए। खान अधिनियम 1952, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ठेका श्रम अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, वैश्यावृति निवारण अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, घरेलु हिंसा से महिला की सुरक्षा हेतु अधिनियम 2005 आदि इन अधिनियमों द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर समान कार्य के लिए समान वेतन पैतृक सम्पति में महिलाओं को अधिकार, पति या साथ रहने वाले किसी भी पुरूष या उसके सम्बन्धियों की हिंसा या प्रताडना से पत्नी या साथ रह रही किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय दण्ड संहिता महिला की सुरक्षा, समान गरिमा के साथ रहने के लिए यदि उसके साथ कोई दुष्कर्म करता है तो भारतीय दण्ड संहिता उसे दण्ड दिलाने के लिए व्यवस्था करती है।[3]

आज विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को अपेक्षाकृत विशेष पहचान मिल रही है। उद्योगों व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी एवं तरक्की के रास्ते बढते जा रहे है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी उतार–चढाव आए है। एक समय महिलायों को जटिल बौद्धिक कार्यो के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। मगर आज महिलाएं बौद्धिक क्षमता वाले कार्यो में पुरूषों के बराबर है।

स्वतन्त्रता के समय से ही महिलाओं को शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। परिणामतः 1951 में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 8.86 से 1981 में 28.47 तथा 1991 में 39.29 व 2011 में 64.06 प्रतिशत हो गया फिर भी अभी 35.41 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर है।

महिलाओं को राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए अप्रैल 1993 में 73वें व 74वें संविधान में स्थानीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर महिला सदस्यों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना है। ताकि वे देश के राजनीतिक, सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर सके। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक रूप से महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।[प]

आधुनिक युग में नारी ने पुरूषों के समकक्ष स्थान एवं अधिकार पाने के लिए कई स्त्री आन्दोलनों एवं संगठनों को जन्म दिया है। दुनिया के दूसरे देशों में स्त्री स्वातंत्र्य आन्दोलन चले और स्त्रियों को अपने अधिकार पाने के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय समाज भी एक पुरूष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था को मानने वाला समाज है जिस में स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहा है। आर्थिक रूप से वे सदैव पुरूषों पर निर्भर रही है तथा उन्हें शिक्षा एवं बाह्य जगत् से भी दूर रखा गया है। किन्तु पिछले कुछ वर्षो से भारत में कई महिला संगठन बने है, प्रमुख रूप से नगरों में। इन संगठनों ने कई मुद्दे उठाए है तथा उनको लेकर आन्दोलन एवं प्रदर्शन भी किए गए। इन मुद्दों में पुरूषों के समान स्त्रियों को अधिकार देने तथा दहेज के कारण महिलाओं को जला देना या प्रताड़ित करना, बलात्कार, शोषण, हत्या, स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार एवं उन्हें बेइज्जत करना तथा पुलिस की ज्यादतियां आदि प्रमुख है। इन मांगों के समर्थन में प्रदर्शनों, संगठनों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने वाली अधिकांश महिलाएं मध्यवर्गीय है। इन में से कई कामकाजी महिलाएं है। महिलाओं ने बाहर ही नहीं परिवार में भी समानता एवं अपने अधिकारों की मांग की हैं। शिक्षित एवं स्वयं अर्जन करने वाली महिलाएं पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र है विवाह शादी के चयन में अपनी पसन्द या नापसन्द को अधिक महत्व देती हैं, पहले की तरह इन पर कोई भी व्यक्ति जीवन साथी के रूप में थोपा नहीं जाता। पारिवारिक निर्णयों में सलाह ली जाती है।

अध्ययन की आवश्यकता

भारत में महिला एवं बाल कल्याण हेतु अनेक कदम उठाये गये हे। 8 मार्च 2000 को महिला नीति घोषित करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बना। महिला एवं बाल कल्याण के उद्देश्य से निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर अध्ययन की आश्यकता को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

1. राजस्थान में महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों में लिये जाने वाले निर्णयों में आने वाली कठिनाई का अध्ययन करना है।
2. महिलाओं व बालकों को विकास की दृष्टि से अधिक सचेत व जागरूक बनाना इस अध्ययन की आवश्यकता है।
3. महिला एवं बाल विकास विभाग की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्थिति को जानना इस अध्ययन का उद्देश्य है।
4. महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का आंकलन करना तथा उनकी प्रभावी भूमिका के लिए सुझाव देना।
5. महिला एवं बाल विकास योजनाओं को प्रशासन द्वारा प्रभावी रूप से लागू करने के पश्चात राज्य की स्थिति में आये परिवर्तन का अध्ययन करना है।
6. महिला एवं बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सम्बन्धित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन की आवश्यकता है।
7. पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति माताओं को योग्य बनाने के उद्देश्य से अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

सन् 1995 में बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेंलन के बाद से निरन्तर महिलाओं का प्रयास है कि उन्हें प्रत्येक स्तर पर समानता मिले। इस प्रस्तावित शोध अध्ययन का सकेन्द्रण राजस्थान प्रदेश में इस कार्यक्रम के प्रशासनिक व क्रियात्मक विश्लेषण तक सीमित रहना प्रस्तावित है। इस सन्दर्भ में राजस्थान प्रदेश में कार्यरत् परियोजनाओं के स्थान, संख्या व प्रत्येक परियोजना में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की तथ्यात्मक सूचनाएँ व कार्यात्मक भूमिका का विश्लेषण स्वाभाविक रूप से आवश्यक है जो कि निम्नानुसार है :–

1. कार्यक्रम के उद्देश्य, रणनीति व्यूह रचना तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन व विश्लेषण करना।
2. कार्यक्रम प्रबन्धन तथा प्रशासन हेतु राज्य, जिला खण्ड, परियोजना व ग्राम स्तर पर कार्यरत विभागों संस्थाओं व संगठनों के गठन, दायित्व संरचना व भूमिका का मूल्याकंन करना।
3. आंगनबाडी केन्द्रों जो कि इस कार्यक्रमों के आधार है कि कार्यकरण व्यवस्था, समय तालिका आदि की आनुभाविक अध्ययन व शोध करते हुए कमियों व बाधाओं को इंगित करते हुए निर्दिष्ट करना।
4. कार्यक्रम की सफलता कार्मिक वर्ग की कार्य कुशलता व दक्षता पर निर्भर करती है। अतः इस शोध का उद्देश्य परियोजना स्तर व आंगनबाडी में कार्यरत मानवीय संसाधन की प्रशिक्षण व्यवस्था का मूल्याकंन करना।
5. निर्धारित शोध पद्धति (आनुभाविक, वर्णनात्मक, गवेषणात्मक व विश्लेषणात्मक) को लागू करते हुए कार्यक्रमों के प्रबन्धक, क्रियान्वयन, लाभार्थियों के चयन इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं/बाधाओं को निर्दिष्ट करना तथा यथा सम्भव उपयोगी व व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना जिससे कि महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम अधिक परिणामोन्मुख व उपयोग बन सकें।
6. ऐसी सम्भावनाओं की खोज करना जिस में कि गैर सरकारी संगठनों का अधिकतम सहयोग अर्जित करते हुए इस कार्यक्रम की प्रभाविता व उपयोगिता में वृद्धि की जा सकें।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

सम्बन्धित अध्ययन विषय से परिचित होने मुख्य समस्या को पहचानने व अध्ययन की एक निश्चित योजना बनाने के लिए विषय से सम्बन्धित साहित्य का गहन अवलोकन किया गया है। अवलोकित पुस्तकें अध्ययन विषय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित रही। ये पुस्तकें विषय के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक स्वरूप को समझने में सफल रही है। अध्ययन हेतु अवलोकित साहित्य में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है :–

यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रकाशित "ह्यूमन डवलपमेंन्ट रिपोर्ट ने व्यक्ति को विशेषकर महिला एवं बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों को केन्द्र में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसके माध्यम से वर्ष 1995 में प्रथम बाल लिंग आधारित विकास सूचकांक को दर्शाया गया है। रिपोर्ट के माध्यम से 174 से अधिक देशों के मानव विकास के विभिन्न पहलुओं पर तथ्यात्मक सूचनाएं देकर देशों की वरीयता के क्रम में दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में बाल कल्याण के विषय को प्राथमिकता दी गयी है।

वर्ष 1999 में बालकों के स्तर के बारें में गठित संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग के प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गई है कि देश की भावी प्रगति के लिए आवश्यक है कि बाल सेवा कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।

डॉ. दिनेश शर्मा एवं पुष्पा शर्मा ने अपनी पुस्तक **राजस्थान आज तक** आचमन पब्लिकेशन 2007–08 में महिलाओं के कल्याण की दिशा में किये जा रहे राजस्थान के प्रयासों विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की आवश्यक जानकारी के साथ ही राज्य के अथक प्रयासों पर विशेष प्रभाव डालती है।

यू.वी. सिंह ने अपनी पुस्तक **"Empower of Women in urban Administration"** सिरियलस पब्लिकेशनस, न्यू दिल्ली में लिखा है कि समाज का विकास और भविष्य महिलाओं के भविष्य के साथ जुडा हुआ है। उसे गृहणी नाम देकर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों में उसका स्तर कम कर दिया है। उन्होने कई युगों में महिलाओं की स्थिति का विवरण किया है।

परिकल्पना एवं अवधारणाएँ

किसी भी शोध के आरम्भ करने से पूर्व परिकल्पनाएँ करनी पडती है। ताकि उनके प्रकाश में शोध अध्ययन के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकें तथा यह ज्ञात हो सकें कि वे शोध के निष्कर्षो (कसौटी) पर खरी उत्तरी है। अथवा नहीं?

वर्तमान प्रस्तावित शोध अध्ययन में निहित मुख्य अवधारणाओं को निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है –

1. महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम बहुआयामी तथा कल्याण उन्मुख कार्यक्रम में यदि इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जाये तो निःसंदेह बालकल्याण तथा महिला विकास सम्भव है।
2. कार्यक्रम को लागू करने वाला आंगनबाडी कार्यकर्ता, प्रयेता इत्यादि का इस कार्यक्रम में प्रति वचनबद्ध व लाभार्थी वर्ग के लिए संवेदनशील होना आवश्यक है।
3. इस कार्यक्रम के निष्पादन में महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग आदि संलग्न है। उपरोक्त सभी विभागों में प्रभावी व समयबद्ध समन्वय व सहयोग अपेक्षित है।
4. इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संस्थाओं का जुडाव भी लाभदायक हो सकता है।
5. कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिये पर्याप्त धनराशि का आवंटन और उसके सदुपयोग को सुनिश्चित करना जरूरी है।
6. महिलाओं को शिक्षित एवं जागरूक बनाया जाना बाल कल्याण के लिये एक महत्वपूर्ण शर्त है।

शोध प्रविधि

किसी भी सामाजिक अनुसंधान को सम्पन्न करने के लिए कुछ सुदृढ प्रविधियों एवं शैक्षणिक तकनीकीयों का प्रयोग करना आवश्यक है। ताकि शोध अध्ययन के निष्कर्षो को समय की कसौटी पर खरा उतारा जा सकें तभी शोध कार्य तर्क संगत होता है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो समाज के सन्दर्भ में विशिष्ट ज्ञान को जिस में प्रयुक्त प्रणालियों एवं तकनीकें न केवल विशिष्ट व तर्क संगत होती है। वरन् उन्हें अध्ययन के लिये दोहराया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित पुस्तकों, लेखों, सन्दर्भ ग्रन्थों व सरकारी प्रतिवेदनों दस्तावेजों व विज्ञप्तियाँ आदि के उपयोग का प्रयास किया जायेगा।

राज्य में महिला एवं बाल कल्याण की योजनाएँ

मिशन इन्द्रधनुष

देश के प्रत्येक बच्चे तक टीकाकरण सेवाएं पहुचांने के अपने प्रयासों के पूरक के रूप में हमने एक विशेष लक्षित कार्यक्रम की परिकल्पना की है ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच सकें, जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के दायरे में नहीं आ पाए या जिनका आंशिक टीकाकरण हुआ है। इस कार्यक्रम को '**मिशन इन्द्रधनुष**' का नाम दिया गया। यह समूचे देश के समग्र यूआईपी (सर्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम) का एक हिस्सा है। यह कार्यक्रम 25 दिसम्बर, 2014 को शुरू किया गया।

किशोरी शक्ति योजना

भारत सरकार द्वारा संपोषित किशोरी शक्ति योजना को राज्य में भी एक नवाचार के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण ब्लॉकों में 11 से 18 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली अथवा बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए सभी शहरी एवं ग्रामीण ब्लॉकों में संचालित की जा रही है। इस योजना के द्वारा किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, उन्हें साक्षरता, संख्यात्मक और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने, तथा उनके सामाजिक वातावरण से सम्बद्ध मुद्दों के प्रति बेहतर समझ देने का प्रयास किया जाता है।

मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना

राज्य में बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपती जिनके एक भी पुत्र न हो और जिन्होंने एक या दो पुत्रियां होने पर नसबंदी करवाई हो उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बालिका के नाम पर 10 हज़ार रुपये की राशि यू.टी.आई. म्यूच्युअल फण्ड की सी.पी.पी. योजना के बॉण्ड के माध्यम से दी जाती है।

राष्ट्र के विकास में महिला एवं बाल स्वास्थ्य

किसी भी देश के विकास के संदर्भ में पहली प्राथमिकता है जन–स्वास्थ्य को दी जानी चाहिए क्योंकि जान है तो जहान है और स्वास्थ्य है तो ही जान है। जन–स्वास्थ्य के मामले में महिला एवं बाल स्वास्थ्य को सबसे अधिक महत्पूर्ण माना जाता है क्योंकि एक तो यह दोनों समूह मिलकर देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत बनते हैं, दूसरे, बच्चे देश के भावी कर्णधार होते है और महिलाएं उन कर्णधारों को जन्म देती है। रूग्ण माता का अर्थ है, रूग्ण बच्चे और रूग्ण बच्चों का अर्थ होगा देश का रूग्ण भविष्य। इस तथ्य के दृष्टिगत हमारे देश में इन दोनों समूहों समेत अन्य समूहों के स्वास्थ्य पर यथोचित ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा में राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 01 जून, 2016 या उसके पश्चात् जन्म लेने वाली बालिकाएँ लाभ की पात्र होंगी। योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावक को 6 चरणों में कुल राशि 50,000 का भुगतान किया जाएगा।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का विस्तार

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम राज्य के सभी 33 जिलों की 249 पंचायत समितियों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की सभी 9,177 ग्राम पंचायते इस कार्यक्रम से जुड चुकी है। इस कार्यक्रम के तृतीय चरण के विस्तार के उपरान्त वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 400 से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्राम आँगनबाड़ी केन्द्रों से जोडे जा चुके है। राज्य में 11 हजार 386 अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य राजस्व ग्राम है।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाएं–

- पूरक पोषाहार
- पोषण एएवं स्वास्थ्य शिक्षा
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच
- संदर्भ सेवाएं
- अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा

महिला विकास की समस्यायें

(1) संस्कृति /साहित्य

किसी भी समाज की जीवनशैली की निर्धारक उस समाज की संस्कृति होती हैं यह संस्कृति समाज के विकास के मार्ग में सहायक एवं बाधक दोनो ही हो सकती हैं। संस्कृति के वाहक तात्कालिक ग्रंथ होते है। भारतीय समाज के संदर्भ में इन ग्रंन्थों (मनुस्मृति) में प्रतिपादित किया गया है।

(2) कुरीतियां/रूढियां

भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियां व्याप्त है। यह कुरीतियां महिलाओं के विकास में बाधक है सामाजिक कुरीतियां यथा बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, नाता–प्रथा, डाकन संबंधी मान्यता और अन्य असमानता जयपुर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आशातीत प्रगति नहीं हो पाई हैं।

(3) रूढिगत सोच/सामाजिक विभेद

महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए बचपन से लड़कों तथा लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेंदार है जिसके अनुसार लडकियां पराया धन होती है। तथा लड़कें कुल का दीपक होते है। हमारी पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं मूल्य तथा रीति रिवाज इस दृष्टिकोण को और पुष्ट करते रहते है यथा भारतीय धर्म–शास्त्रों के अनुसार धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान एवं संस्कार पुरूषों द्वारा ही सपांदित किए जाते हैं तथा देवताओ, ऋषियों और माता–पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र संतान को जन्म देना आवश्यक हैं।

(4) कम आयु में विवाह

कम आयु में लड़कियों का विवाह महिला विकास के समक्ष एक विकट चुनौतीं हैं भारत में सामाजिक परिवेश, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश की यह एक प्रमुख विशेषता है राजस्थान राज्य इस मामलें में सबसे आगे है। जहां अभी भी प्रतिवर्ष सैकडों दूध पीती बालिकाओं की शादी करके उनके भविष्य को अंधकार मय बना दिया जाता है। कम आयु में शादी कर देने से लडकियां न तो समूचित शिक्षा प्राप्त कर पाती है। (5) (5)

सामाजिक मान्यताएं

पुरूष प्रधान समाज विशेष रूप से अशिक्षित, धर्मान्ध एवं जनजातीय समाज में आज भी महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझकर उन्हें घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है। तथा उनसे केवल यही अपेक्षा की जाती है कि वे अपना सारा समय बच्चों के लालन–पालन तथा पति–सास–श्वसुर की सेवा में लगाए।

(6) जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या में हो रही लगातार तीव्र वृद्धि महिला विकास के समक्ष एक दीर्घ चुनौती है भारत की राष्ट्रीय एव राज्यस्तरी सरकारों नें 1952 में ही जनसंख्या वृद्धि की तेज गति को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिरोध माना। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। अत्यधिक प्रजनन, अपर्याप्त पोषण एवं अत्यधिक पारिवारिक दबाव का सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।

(7) कुपोषण

महिला विकास के मार्ग में कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य एक प्रमुख समस्या हैं कुपोषण की शुरूआत गर्भ से ही हो जाती है लड़कियों और महिलाओं में तो जीवन भर पौष्टिक भोजन का अभाव रहता है। इससे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ जाता है। बल्कि भावी पीढी को क्षति पहुचानें की आशंका भी बढ जाती है।

(8) महिला साक्षरता की निम्न दर

शिक्षित महिला घर–परिवार समाज एवं देश के नव–निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन इसे विपरीत महिला निरक्षरता न केवल समाज के विकास वरन् महिला–विकास के समक्ष एक बड़ी चुनौती है राजस्थान में प्रारम्भ से ही महिला साक्षरता की उपेक्षा रही है। जहां वर्ष 1951 में महिला साक्षरता दर 3 प्रतिशत थी वर्ष 2011 में भी यह दर मात्र 52.1 प्रतिशत रही।

(9) सार्वजनिक (राजनीतिक) जीवन संबंधी नकारात्मक धारणा

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी घटती जा रही है। राजनीतिक परिदृश्य से वितृष्णा के कई कारण दृष्टिगत होते है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है।

(10) महिला आन्दोलन में संगठनात्मक चरित्र का अभाव

महिला विकास की यह एक प्रमुख सीमा है कि स्वयं महिला आन्दोलन महिला मुद्दों पर एकमत नहीं है। उनमें संगठनात्मक चरित्र का अभाव है। यह महिला आन्दोलन की सबसे बडी कमजोरी है।

(11) गरीबी (आर्थिक समस्या)

गरीबी/आर्थिक समस्या सिर्फ महिला विकास की नहीं अपितु राष्ट्रीय विकास के सम्मुख एक प्रबल चुनौती है और इससे महिलाएं अत्यधिक रूप से प्रभावित होती है व गरीबी के कारण परिवार में महिलाओं एवं बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अत्यधिक उपेक्षा की जाती है। खासतौर पर गरीब घरों में जब खर्च कम करने की बात उठती है। तो इसका पहला शिकार लडकियाँ एवं महिलाएं होती हैं।

(12) स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता

सामाजिक पिछड़ेपन, अशिक्षा एवं जानकारी के अभाव में महिलाऐं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्या और काम के बोझ के कारण वे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहती है। अभावों एवं समस्याओं के घर में पली बढ़ी लड़कियां जिम्मेदारियों के कारण विवश होकर स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती जाती है।

(13) सामाजिक पिछड़ापन एवं अशिक्षा

महिला विकास के मार्ग महिलाओं का सामाजिक पिछड़ापन एवं अशिक्षा भी एक प्रमुख बाधा हैं विशेषकर ग्रामीण महिलाए शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओ, प्रशिक्षण एवं प्रसार तकनीकों का ज्ञान नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप उन्हें सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है।

(14) विकास योजनाएं/कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं

महिला विकास योजनाओं/कार्यक्रमो को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का एक कारण यह भी है कि ये योजनाएं एवं कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होते हैं यह योजनाएं एवं कार्यक्रम उच्च अधिकारियों के निर्णयों पर आधारित होते हैं जिनका संबंधित वर्ग समुदाय या क्षेत्र की समस्या से कोई सरोकार या संबंध नहीं होता है।

(15) शासकीय निष्क्रियता

भारतीय राज्य ने पिछले पचास वर्षो में महिला उत्थान के लिए अनेक कानून एवं नीतियाँ बनाई है। किन्तु इन नीतियों का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाया है। इसके कारणों में एक कारण नौकरशाही की संवेदनहींन प्रक्रिया भी जिम्मेंदार है।

(16) राजनीतिक दलों द्वारा महिला मुद्दों की उपेक्षा

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल ही विकास के संवाहक होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा महिला मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का विषय मात्र चुनावी घोषणा पत्र तक सीमित रह जाते है।

समस्या समाधान

(1) **विकास योजनाओं / कार्यक्रमों का स्वरूप स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए** – जयपुर एक विषम भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व जनांकिकीय परिस्थितियों वाला जिला होने के कारण यहां संचालित किसी भी विकास योजना अथवा कार्यक्रम का स्वरूप इन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।

(2) **योजना/ कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए**– विकास की अवधारणा जन आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं पर आधारित होती है। योजनाएं संबंधित समुदाय की आवश्यकताओं एंव रूचि पर आधारित नहीं होने के कारण अपेक्षित जन सहयेाग के अभाव में सफल नहीं हो पाती है।

(3) **महिला एवं बालिका शिक्षा का व्यापक प्रचार/प्रसार होना चाहिए** –शिक्षा विकास का सशक्त माध्यम हैं शिक्षा के माध्यम से समाज में नवीन चेतना का संचार किया जा सकता हैं साथ ही महिलाओं की सोच में गुणात्मक परिवर्तन लाऐ जा सकते हैं

(4) **महिलाओं का आर्थिक स्वावलम्बन** –महिला विकास के लिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता अति आवश्यक हैं, क्योंकि जब तक महिलाएं आर्थिक दृष्टि से निर्भर रहेगी तब तक वह समाज एवं परिवार दोनों ही दायरों में स्वनिर्णय की स्थित में सक्षम नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में महिला विकास के समस्त प्रयास निष्फल सिद्ध होगें।

(5) **महिलाओं द्वारा पहल** – महिला विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को स्वयं में परिवर्तन करना होगा, जो शिक्षा एवं आत्मविश्वास के आधार पर ही सम्भव है।

(6) **महिला आंदोलन में संगठनात्मक एकता** –कतिपय महिला मुद्दों पर महिला आन्दोलन ने संगठनात्मक एकता का भाव महिला विकास के मार्ग में एक प्रमुख सीमा हैं।

(7) **महिला आक्षरण विधेयक** – महिला आरक्षण विधेयक महिला विकास दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम सिद्ध होगा। महिलाओं की समाज में व्यवस्था की मुख्य भूमिका प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक आवश्यक है।

(8) **महिला संगठनो की भूमिका** – संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी के अभाव में महिलाऐं अपने अधिकारों का व्यापक उपयोग नहीं कर पाती है। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों के उल्लंघन एवं शोषण को चुपचाप स्वीकार करती रहती हैं।

(9) **स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका** – महिला विकास के लिए स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, चूंकि जन सहयोग के अभाव में अधिकांश विकास योजनाएं अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाती हैं,

(10) **युवाओं की भूमिका** – युवा वर्ग किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। जिस पर समाज का भविष्य निर्भर होता है। यदि समाज में परिवर्तन लाना हो तो युवाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

(11) **राजनीतिक दलों की भूमिका** – राजनीतिक दल ही लोकतांत्रिक समाज का प्रमुख आधार होते है और उनकी समाज के प्रति, प्रतिबद्धता एवं गम्भीरता ही समाज को एक नवीन दिशा प्रदान कर सकती है।

(12) **मीडिया की भूमिका** – सूचना क्रांति के इस युग में समाज के विकास में सूचना एवं जनसंचार के साधनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जब तक मीडिया अपनी इस भूमिका का यथोचित प्रतिबद्धता के साथ निर्वाह नहीं करता तब तक समाज का विकास संभव नहीं है।

(13) **समाज की सोच में परिवर्तन** – समाज की रूढिगत सोच महिला विकास के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती है। महिला विकास के लिए समाज की नकारात्मक सोच में बदलाव जरूरी है।

(14) **महिला अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए** – महिला अध्ययन एवं महिला विकास एक नवीन विषय है जिसकी जानकारी अधिकांश शिक्षित एवं जागरूक लोगों को नहीं है, अतः महिला अध्ययन के प्रति समाज में चेतना जागृत करने के लिए महिला अध्ययन को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियल वर्क इन इण्डिया, भारत सरकार
2. खान, एम. ए. 1992. इन्टरप्रेन्यूरिल डवलप मेंन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, कनिष्ठ पब्लिशिंग हाऊस, न्यू देहली.
3. खन्ना, एस. के. 1998. वीमेंन एण्ड द हयूमन रेाइटस कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू देहली.
4. खन्ना, गिरिजा एण्ड वारहो. 1978. इण्डियन वी मेंन टुडे, विकास, न्यू देहली.
5. इम्पीरियल गजट ऑफ इण्डिया. 1908. द इण्डियन एम्पायर, वॉल्यूम–21, द क्लेरेन्डोन प्रेस, ऑक्सफोर्ड.
6. इन्द्रा, एम. एन. 1940. द स्टेट्स ऑफ वी मेंन इन इण्डिया, मिनर्वा बुक, मद्रास.
7. इन्द्रा, आर. 1999. जेण्डर एण्ड सोसायटी इन इण्डियाः रूरल एण्ड ट्राईबल स्टडीज वॉल्यूम–2. मानक पब्लिकेशन, न्यू देहली.
8. इन्ट्रीग्रेटेट चाइल्ड डिवलप मेंन्ट सर्विसेज : गाइड लाईन इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशियल वेलफेयर, नई दिल्ली.

डॉ.एस.एस. खींची

सह आचार्य , भूगोल विभाग , डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पुष्पा कुमारी मौर्य

शोधार्थी , भूगोल विभाग , डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)